

बिहार सरकार
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक-.....

संख्या-8/आ0 (राज0 उ0)-2-11/2017-1603/श्री राजकिशोर प्रसाद सिंह, तत्का0 निरीक्षक उत्पाद, रोहतास द्वारा जिले में अवैध, शराब के निर्माण तथा चौर्य बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने में असफल होने कारण कर्तव्य के प्रति लापरवाही तथा प्रभावी पर्यवेक्षण के अभाव के आरोप में विभागीय अधिसूचना सं0-4434 दिनांक 29.10.2017 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है, को तत्कालिक प्रभाव से निलंबन से मुक्त किया जाता है।

2. निलंबन अवधि के वेतनादि का भुगतान इनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के फलाफल से प्रभावित होगा।

3. इसमें सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(अभय राज)

सरकार के विशेष सचिव,
बिहार, पटना।

संख्या-8/आ0 (राज0 उ0)-2-11/2017 -...../

पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/वित्त विभाग, ई-गजट कोषांग को (सी0डी0 सहित) राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।


ह0/-

सरकार के विशेष सचिव,
बिहार, पटना।

संख्या-8/आ0 (राज0 उ0)-2-11/2017 -1603/

पटना, दिनांक-14.05.18

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय प्रधान सचिव के आप्त सचिव/आयुक्त उत्पाद-सह-निबंधन महानिरीक्षक के आप्त सचिव/सहायक आयुक्त उत्पाद का कार्यालय, भोजपुर/राजपत्रित स्थापना, प्रशाखा-5/आई0टी0 मैनेजर एवं श्री राजकिशोर प्रसाद सिंह, निलंबित निरीक्षक उत्पाद, मुख्यालय-सहायक आयुक्त उत्पाद का कार्यालय, भोजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



सरकार के विशेष सचिव,
बिहार, पटना।